

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/5328 /

जबलपुर, दिनांक 12/12/2023

श्रीमती सोनाली कौरव, जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर को मध्यप्रदेश वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल के अधिसूचना दिनांक 22.08.2015 के नियम 38 ग के अनुसार दिनांक 30.08.2023 से 27.11.2023 तक 90^{दिन} के स्वीकृत संतान पालन अवकाश के निरन्तर में दिनांक 28.11.2023 से 25.02.2024 तक 90 दिन का संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया गया। स्वीकृत संतान पालन अवकाश पश्चात् 550 दिन संतान पालन अवकाश की पात्रता शेष है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति
महोदय के आदेशानुसार

सही / -

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक D/5329 /

जबलपुर, दिनांक 12/12/2023

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) स्थापना/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्रीमती सोनाली कौरव, जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

02.12.23
(संदीप शर्मा)

प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक)